छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

ब्लाक नंबर–7 ए, द्वितीय तल, सेक्टर–24, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

No./Business/2020-21/22 Raipur Date : 16-07-2021

//रूचि की अभिव्यक्ति में प्री–बिड प्रश्नों का स्पष्टीकरण//

पात्र आवेदकों से उपभोक्ता उत्पादों की आपूर्ति के लिए सूचीबद्ध किए जाने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) दिनांक 18.06.2021 आमंत्रित की गयी। इस ईओआई दस्तावेज के पेजनंबर–7 के बिन्दु कमांक (h) के अंतर्गत निम्नानुसार कंडिकाएं जोड़ी जाती हैं–

h.a उचित मूल्य दुकानदार निगम के माध्यम से ही सूचिबद्ध निर्माता/आपूर्तिकर्ता को प्रदाय आदेश दे सकेंगे।

h.b निगम द्वारा राशन दुकानदारों से ऑनलाईन मांग पत्र जिला प्रबंधकों के माध्यम से प्राप्त किया जावेगा, जिसके आधार पर निगम द्वारा प्रदाय आदेश दिया जावेगा। निगम के आदेश के बिना सूचिबद्ध निर्माता/आपूर्तिकर्ता दुकानदारों को आपूर्ति नहीं कर सकेगा।

h.c सूचिबद्ध निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कौन से उत्पादों का वितरण किस क्षेत्र/जिले में किया जाएगा इसके निर्धारण के पूरे अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेंगे।

h.d किसी भी निर्माता/आपूर्तिकर्ता को इम्पेनलमेंट एवं डी–इम्पेनलमेंट किए जाने के पूर्ण अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

h.e निर्माता/आपूर्तिकर्ता के सूचीबद्ध होने के उपरान्त यदि उनके विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है या किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है, तो उसे डी–इम्पेनलमेंट करने के समस्त अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेंगे तथा इस संबंध में प्रबंध संचालक द्वारा जारी आदेश संबंधित निर्माता/आपूर्तिकर्ता हेतु बंधनकारी रहेगा।

उपरोक्त बिन्दुओं को पूर्व में जारी रूचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज में सम्मिलित माना जावेगा।

महाप्रबंधक